रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112022-240673
CG-DL-E-30112022-240673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5310]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/अग्रहायण 9, 1944
No. 5310]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

सं. 46/2015–2020

विषयः स्कोमेट अद्यतन 2022–निर्यात और आयात मदों की आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची–2 हेतु परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) में संशोधन।

का.आ. 5542(अ)ः—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020, के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा संलग्न निर्यात और आयात मदों की आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची–2 हेतु परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) में संशोधन करती है।

2. इस अधिसूचना में निर्यात और आयात मदों की आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची–2 हेतु अद्यतन परिशिष्ट 3 (स्कोमट मदें) अनुलग्नक के रूप में डीजीएफटी के वेब–पोर्टल पर शीर्षक ''नियामक अद्यतन'' और उप–शीर्षक ''आयात, निर्यात और स्कोमेट नीति" के तहत अपलोड किया जाएगा।

3. उद्योग जगत को संक्रमण कालीन समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अधिसूचना इसके जारी करने की तिथि से 30 दिनों बाद लागू होगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः

निर्यात और आयात मदों की आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची–2 हेतु परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदों) को संशोधित करने के लिए वार्षिक स्कोमेट अद्यतन–2022 को अधिसूचित कर दिया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/37/एएम 10/ईसी (एस)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 05 दिनांक 24 अप्रैल, 2017, अधिसूचना सं. 13 दिनांक 28 जून, 2017, अधिसूचना सं. 29 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, अधिसूचना सं. 17 दिनांक 3 जूलाई, 2018, अधिसूचना सं. 04 दिनांक 24 अप्रैल, 2019, अधिसूचना सं. 10 दिनांक 11 जून, 2020 और अधिसूचना सं. 47 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(**Department Of Commerce**)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

No. 46/2015-2020

Subject: SCOMET Updates 2022 - Amendment in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

S.O. 5542(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Central Government hereby makes the amendment in Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule -2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018, as enclosed in the Annexure to this Notification.

2. The updated Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018 as annexure to this notification would be uploaded on the web-portal of DGFT under heading "Regulatory Updates" and Sub-heading "Import, Export and SCOMET policy".

3. In order to provide transition time to industry, this Notification shall come into effect after 30 days of the date of issuance.

Effect of this Notification:-

Annual SCOMET Update - 2022 has been notified to amend Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

[F. No. 01/91/171/37/AM10/EC(S)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade and Addit. Secy.

Note: Principal Notification No. 05 dated 24th April 2017, Notification No. 13 dated 28th June 2017, Notification No. 29 dated 21st September 2017, Notification No. 17 dated 3rd July 2018, Notification No. 04 dated 24th April 2019, Notification No. 10 dated 11th June 2020 and Notification No. 47 dated 20.12.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA